



नगरीय प्रशासन निदेशालय नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड सरकार

दूरभाष सं०: 0651-2401955, 2401182(Fax), ई-मेल:- director.ma.goj@gmail.com

सूचना

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चौथे घटक (लामार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण) (BLC) अंतर्गत दिनांक: 08.06.2021 को आयोजित CSMC की 54वीं बैठक, में वित्तीय वर्ष 2021-22 (प्रथम चरण) में झारखण्ड के 40 शहरी निकायों अंतर्गत चयनित लामुकों के कुल 36304 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।
निकायवार स्वीकृत आवासों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	निकाय	स्वीकृत लामुक (सं.)	क्र.सं.	निकाय	स्वीकृत लामुक (सं.)
1.	आदित्यपुर	753	21.	हरिहरगंज	842
2.	बचरा	11	22.	हजारीबाग	1984
3.	बड़की सरैया	35	23.	जामताड़ा	301
4.	बरहरवा	1165	24.	झुमरीतिलैया	482
5.	बासुकीनाथ	1483	25.	जुगसलाई	14
6.	विश्रामपुर	1121	26.	कपाली	128
7.	बुण्डू	345	27.	खुंटी	1106
8.	चाईबासा	82	28.	लातेहार	673
9.	चक्रधरपुर	307	29.	लोहरदगा	500
10.	चास	803	30.	माहागामा	474
11.	चतरा	1998	31.	मझिऑंव	137
12.	चिरकुण्डा	464	32.	मानगो	40
13.	छत्तरपुर	2177	33.	भेदिनीनगर	1685
14.	देवघर	3751	34.	मिहीजाम	1009
15.	धनबाद	576	35.	नगर उंटारी	3293
16.	धनवार	129	36.	पाकुड़	1076
17.	दुमका	1034	37.	राजमहल	791
18.	गढ़वा	544	38.	साहिबगंज	1398
19.	गोड्डा	2000	39.	सरायकेला	164
20.	गुमला	491	40.	सिमडेगा	938
		कुल			36304

अतः सभी संबंधित स्थानीय निकायों के चयनित सुपात्र लामुक निर्माण कार्य अदिलंब प्रारंभ करने हेतु निकाय कार्यालय से संपर्क स्थापित करें।

ह०/-
निदेशक